नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी परिसर में सूखी पड़ी लकड़ी, स्क्रैप (शीशम व् अन्य) की दिनांक 15.02.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समिति व् इच्छुक पार्टियों की उपस्थिती में उच्चतम कीमत व् "जहाँ है जैसा है" के आधार पर होगी, जिनका ब्यौरा व् नीलामी की शर्तें आदि प्राचार्य कार्यालय, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय,रेवाड़ी में किसी भी कार्य दिवस या महाविद्यालय की वेबसाइट www.klpcollege.ac.in पर देखी जा सकती हैं. बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए धरोहर धनराशि के रूप में 5000/- रूपये दिनांक 15.02.2022 को 10:00 बजे तक लेखा साखा, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी में जमा करवानी है।

08/02/2022

प्राचार्य

Principal K.L.P. College, Rewari

सूखी पड़ी लकड़ी, स्क्रैप (शीशम व् अन्य) की नीलामी 'जहां है जैसे के' आधार पर किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी में होगी

नीलामी के सामान्य नियम व् शर्तें:-

1. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता/एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाएगा।
2. बोलीदाता को बोली की दरें 'जहाँ है जैसे है' के आधार पर देखकर दिनांक 15.02.2022 सुबह 11:00 बजे प्राचार्य कार्यालय, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी में बोली के समय सलंग्न प्रोफोर्मा में भर कर देनी होगी।
3. लकड़ी स्क्रैप की लोडिंग, अनलोडिंग का खर्च एजेंसी/बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
4. लकड़ी, स्क्रैप को उठाने के बाद एजेंसी/बोलीदाता को उस क्षेत्र को साफ़ करना होगा।
5. कार्य पूरा करने का समय 7 दिन का होगा।
6. कार्य आवंटन के तुरंत बाद बोलीदाता/एजेंसी को बोली का पूरा पैसा (टैक्स सहित) लेखा शाखा, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी में जमा करना होगा।
7. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक वयक्ति को रूपये 5000/-(पांच हज़ार रूपये) धरोहर धनराशि के रूप में लेखा शाखा, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय, रेवाड़ी में जमा करवाकर रशीद प्राप्त कर ले व् बोली से पहले समिति को रशीद जमा करवाना अनिवार्य होगा।
8. धरोहर धनराशि सिवाय उस वयक्ति की जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तुरंत वापिस लौटा दी जायेगी। जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती है उसकी धरोहर धनराशि काम पूरा होने पर कार्य संतोषजनक पाए जाने पर लौटा दी जायेगी।
9. भुगतान ऑनलाइन/डीडी या कैश (लेखा शाखा में) के माध्यम से प्राचार्य, किशन लाल पब्लिक महाविद्यालय,रेवाड़ी के पक्ष में स्वीकार किये जाएंगे।
10. यदि बोलीदाता अथवा उसका कोई मजदूर इस बोली की सारी प्रक्रिया के दौरान महाविद्यालय की किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो महाविद्यालय उचित समझे बोलीदाता को करनी होगी।
11. बोलीदाता/एजेंसी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसार सभी श्रम कानूनों/ नियम का पालन करना होगा।
12. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन में लकड़ी को छोड़कर कोई भी महाविद्यालय सामग्री पाई जाती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी और महाविद्यालय द्वारा एजेंसी को दण्डित किया जाएगा।

13. बोलीदाता/एजेंसी नीलामी से पहले अपनी लागत पर परिसर में साइट का सर्वेक्षण कर सकती है। बोलीदाता/एजेंसी साइट सर्वेक्षण के लिए प्राचार्य कार्यालय में सम्पर्क कर सकती है।

14. नीलामी को सवीकृत करने का अधिकार इस उद्दशेय के लिए गठित समिति के पास होगा और समिति कोई कारण बताये बिना नीलामी के किसी भी मदों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समिति भाग या पूरे में किसी भी वस्तु या किसी भी मात्रा या किसी भी क्षेत्र की नीलामी को स्वीकार करने या बाकि के लिए इसे अस्वीकार करने या दोनों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

15. यदि अनुबंध के अवधि के दौरान किसी भी समय बोलीदाता/एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो महाविद्यालय 7 दिनों का नोटिस देकर अपनी और से किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. बोलीदाता/एजेंसी द्वारा लगे हुए कामगारों को दिए जाने वाले भुगतान के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता/एजेंसी कामगारों की सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करेगी की उसके कामगार पूरी सावधानी के साथ अपना कार्य कर रहें हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता/एजेंसी की होगी। इसमें महाविद्यालय का कोई लेना देना नहीं होगा।

17. अनुबंध के किसी भी पहलू के संबध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ठेकेदार और महाविद्यालय के बीच आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा. यदि मामला निपटारा नहीं हुआ तो विवाद भारतीय न्याय अधिनियम 1966 के दायरे में आ जाएगा और क्षेत्राधिकार रेवाड़ी में होगा।

18. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौके पर कर दी जायेगी और कार्य के दौरान यदि कोई नियम व् शर्तें होंगी तो आपसी सहमति से लागू की जाएंगी।

19. नियमों के मुताबिक टैक्स/टीडीएस जो भी लागू होगा बोलीदाता को अलग से देना होगा।

20. बोलीदाता को पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रतियां बोली के साथ जमा करवाना अनिवार्य है।

Principal

Committee

1.

2.

3. Sanjay

09/09/2022